न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–05/2021 अपील (आर्म्स)

नाजम खां पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। ––अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उप जिला कलक्टर, संगरिया जिला हनुमानगढ़। ––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.05.2016 कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया जिसके द्वारा अपीलांट का एम.एल. गन का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 130/2000 को निरस्त किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री रिछपाल सिंह चहल एडवोकेट–अपीलार्थी।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांकः–21.08.2024

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 55 आर्म्स अधिनियम 1962 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा अपीलांट का एम.एल. गन शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 130/2000 जिसे आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा निरस्त किया गया, को अपास्त कर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील अपीलार्थी कृषि पेशा व्यक्ति है जिसके पिता व स्वयं के नाम से फतेहपुर में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि में जंगली पशुओं व आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिये अपीलांट ने स्वयं के नाम से एक शस्त्र लाईसेंस टोपीदार बन्दूक लाईसेंस नम्बर 130/2000 को तहसीलदार संगरिया ने जारी करवाया था जिसका नवीनीकरण दिनांक 31.12.2012 तक था। अपीलार्थी ने उक्त वर्णित शस्त्र के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करवाने के लिये रेस्पोंडेंट के समक्ष दिनांक 10.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के नाम से जारी लाईसेंस नम्बर 130/2002 का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2012 से बढ़ाकर 31.12.2015 तक किया जावे। रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को पत्र क्रमांक प.21 (1)/आर्म्स/नवी./न्याय/2013/543 दिनांक 15.05.2013 को नवीनीकरण किये जाने हेतु जांच रिपोर्ट/अभिमत भिजवाने बाबत पत्र लिखा गया जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना संगरिया में मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट देते हुए शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस क्रमांक प.21 (1)/आर्म्स/नवी/न्याय/12/1215 दिनांक 25.07.2013 जारी किया गया जिसके जवाब में अपीलार्थी ने दिनांक 13.08.2013 को रेस्पोडेंट के समक्ष व्यक्तिगत व लिखित में जवाब नोटिस पेश किया और निवेदन किया कि उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय या थाना में कोई भी मुकदमा विचाराधीन नहीं है न ही वह किसी मुकदमा में सजायाफता है। रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 19.08.2013 को पत्र क्रमांक प.21 (1)/आर्म्स/नवी./न्याय/2013/140 श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रेषित करते हुए अपीलार्थी के टोपीदार अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में पुनः जांच रिपोर्ट/अभिमत भिजवाने बाबत दिया जिसके सन्दर्भ में रेस्पोडेंट ने पत्र क्रमांक प.21(1)/आर्म्स/नवी/न्याय/2013/158 दिनांक 28.01.2014 माननीय जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर के निर्देशों के अनुसरण में

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

रिपोर्ट भिजवाये जाने का स्मरण पत्र दिया गया। रेस्पोडेंट ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/एसडीएम /2016 दिनांक 12.05.2016 को अपीलार्थी के नाम तहसीलदार द्वारा जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 130/2000 जो दिनांक 31.12.2012 तक नवीनीकृत है, पर जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ की रिपोर्ट हनु/श.ला./नवी./20/142 दिनांक 14.06.2013 के अनुसारण में लाईसेंसी के खिलाफ मुकदमा नम्बर 357/1998 धारा 447, 323 भा.दं.सं. एवं मुकदमा नम्बर 360/2007 धारा 13 आर.पी. जी.ओ. एक्ट में अभियोग दर्ज होने पर अपीलार्थी के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा पर रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी के शस्त्र लाईसेंस नम्बर 130/2000 को तुरन्त निरस्त कर दिये जाने के आदेश पारित किये। रेसपोडेंट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.05.2016 से अपीलार्थी विपरित रूप से प्रभावित है तथा यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा हैं– (क) कि रेस्पोडेंट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2016 कत्तई गलत व विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। (ख) कि अपीलांट एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है परन्तु अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र रेस्पोडेंट ने अपने आदेश क्रमांक 231 दिनांक 12.05.2016 में यह तथ्य प्रकट करते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 357/1998 धारा 447, 323 भारतीय दण्ड संहिता व मुकदमा नम्बर 360/2007 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। (ग) कि अपीलार्थी के गांव के रहने वाले अपीलार्थी के नाम का एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली है जिसे उसके मामा रमजान खां ने पाला पोसा है। उक्त दोनों मुकदमें उक्त तथाकथित व्यक्ति के खिलाफ नामजद थे। तथाकथित नाजम अली अत्यन्त शातिर किस्म का व्यक्ति है जिसने अपना नाम नाजम अली व पिता का नाम रमजान खां अंकित करवा दिया। इस सम्बंध में अपीलांट ने पुलिस थाना संगरिया में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा तथाकथित नाजम अली के विरूद्ध दर्ज करवाया जिसमें न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट में अपीलार्थी व उक्त तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली की फोटो अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया कि नाजम अली उर्फ नाजम खां पुत्र रमजान खां पर कोई मुकदमा नहीं है बल्कि उक्त तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली पर सट्टा आदि के मुकदमें दर्ज हैं तथा इसके मामा का नाम रमजान था जिसने उसे पाला पोसा है जिस वजह से उसे नाजम अली पुत्र रमजान भी कहा जाता है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के मुकदमा में तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली को हवालात ज्यूडिशियल किया गया तथा नाजम अली पुत्र वारिस अली के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली जो अब जमानत पर है तथा उसके विरूद्ध मुकदमा विचाराधीन है। रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी के उक्त कथनों की ओर कोई गौर न कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। (घ) कि रेस्पोडेंट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी व ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर ही प्रदान किया इस कारण आक्षेपित आदेश रेस्पोडेंट अपास्त होने योग्य है। (ड) अपीलांट ने तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली के विरूद्ध दर्ज मुकदमें व तथ्यों के बारे में रेस्पोडेंट को अवगत करवा दिया था व दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे लेकिन रेस्पोडेंट ने प्रस्तुत दस्तावेज व तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन न कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

अपील अपीलार्थी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की है। आक्षेपित आदेश दिनांक 12.05.2016 का है। आक्षेपित आदेश की कोई सूचना रेस्पोडेंट ने अपीलांट को प्रेषित नहीं की जिस कारण अपीलार्थी को पूर्व में आक्षेपित आदेश का ज्ञान नहीं हुआ। माह अगस्त 2019 में अपीलार्थी अनुज्ञा पन्त्र नवीनीकरण की फीस जमा करवाने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया के कार्यालय में गया तो सम्बंधित कर्मचारी ने अपीलार्थी को उसके अनुज्ञा पत्र को आदेश दिनांक 12.05. 2016 के द्वारा निरस्त करने की जानकारी दी जिस पर अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 12.05.2016 एवं इससे सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सर्वप्रथम आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात कोविड–19 महामारी के कारण न्यायालयों में कार्य स्थगित हो गया व इस

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मियाद अवधि में छूट दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी 2/– रूपये के न्यायशुल्क पर इल्म से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि है अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमांक न्याय/एसडीएम/2016 दिनांक 12.05.2016 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 130/2000 बहाल कर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस में कथन किये कि अपीलांट एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है परन्तु अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र रेस्पोडेंट ने अपने आदेश क्रमांक 231 दिनांक 12.05.2016 में यह तथ्य प्रकट करते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 357/1998 धारा 447, 323 भारतीय दण्ड संहिता व मुकदमा नम्बर 360/2007 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के गांव के रहने वाले अपीलार्थी के नाम का एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति तथाकथित नाजम अली पुत्र वारिस अली है जिसे उसके मामा रमजान खां ने पाला पोसा है। उक्त दोनों मुकदमें उक्त तथाकथित व्यक्ति के खिलाफ नामजद थे। तथाकथित नाजम अली अत्यन्त शातिर किस्म का व्यक्ति है जिसने अपना नाम नाजम अली व पिता का नाम रमजान खां अंकित करवा दिया। इस सम्बंध में अपीलांट ने पुलिस थाना संगरिया में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा तथाकथित नाजम अली के विरूद्ध दर्ज करवाया जिसका प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी व ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर ही प्रदान किया इस कारण आक्षेपित आदेश रेस्पोडेंट अपास्त होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा अनुज्ञा–पत्र निरस्तीकरण का उक्त आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए व अपीलार्थी के सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक, वृत संगरिया से रिपोर्ट प्राप्त कर किया है जिसमें अपीलार्थी समय–समय पर उपस्थित आता रहा है। अतः अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र बहाल नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर समय–समय पर उपस्थित आता रहा है। अपीलार्थी के अनुज्ञा–पत्र के सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक, वृत संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध दो अभियोग दर्ज होने पर अपीलार्थी के शत्र लाईसेन्स आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। उक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा अपीलार्थी का शत्र लाईसेन्स का अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा प्रकरण की पूर्ण नियमानुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त कर शत्र अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित शत्र अनुज्ञा–पत्र निरस्तीकरण आदेश क्रमांक 231 दिनांक 12.05.2016 यथावत रखा जाता है। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़